क्रमांक 163 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक / 10 / 2021

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।
संदर्भ :— 1. अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं RTI एक्टिविस्ट, नवापारा अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.) का आवेदन दिनांक 17.09.2021 कार्यालय में प्राप्त दिनांक 20. 09.2021
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी, के आवेदन दिनांक 17.09.2021. पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 की सत्यापित प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। दिये गये निर्णय पर कार्यवाही करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

सही/-
(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 163 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / 8282 रायपुर दिनांक 04 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड करें।
2. श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं RTI एक्टिविस्ट, नवापारा अंबिकापुर जिला—सरगुजा (छ.ग.) मो.नं. — 9826152904, 9713002913 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

A. Badhiye 04/10/2021
(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 163 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक / 10 / 2021

अपील प्रकरण क्रमांक 163

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं RTI एक्टिविस्ट, नवापारा अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.) मो.नं. – 9826152904, 9713002913	विरूद्ध	श्री एल.बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.10.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी, के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2021 जो कार्यालय में दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त हुआ की सुनवाई आज दिनांक 04.10.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी.शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) एवं श्री धनी सिंह, सहायक ग्रेड–2, स्थापना शाखा 331–332 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर उपस्थित थे। अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी अनुपस्थित थे।

2 अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा 30 दिवस के अंदर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा न ही कोई सूचना दिये जाने से क्षुब्ध होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

3. जनसूचना अधिकारी तथा श्री धनी सिंह, सहायक ग्रेड–2, स्थापना शाखा 331–332, के तर्क श्रवण किये गये।

4 जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान अवगत कराया कि अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी द्वारा 3 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी जिसमें से केवल 1 बिन्दु की जानकारी 6 पृष्ठों में संबंधित कक्ष से नोटशीट के माध्यम से दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त हुई। जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई थी अतः आवेदक को उक्त जानकारी पंजीकृत डाक द्वारा निशुल्क जानकारी प्रदान की गई। चूंकि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी जांच से संबंधित है एवं वर्तमान में जांच प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को इस कार्यालय में मांगी गई जानकारी का जितना भाग उपलब्ध होता है उतना ही प्रदाय किया जा सकता है। जांच कार्यवाही की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

5. श्री धनी सिंह, सहायक ग्रेड–2, स्थापना शाखा 331–332 का पक्ष सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि प्रकरण में उल्लेखित योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायत को कार्यालयीन पत्र क्र. 3316157 / शिका. / 2019 / 7053 दिनांक 07.06.2019 द्वारा एवं अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत जो कि पूर्व में प्राप्त शिकायत में दर्शित योजनाओं से संबंधित थी, को कार्यालयीन पत्र क्र. 3316157 / शिका. / 2019 / 6820 दिनांक 24.08.2021 द्वारा जांच हेतु मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,अंबिकापुर द्वारा उनके आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा जांच दल गठन किया है। जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही अभीतक कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

6. अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता से मोबाईल फोन द्वारा संपर्क स्थापित किया गया। उनके द्वारा प्रकरण के संबंध में यह बताया गया कि मुझे प्रकरण से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रकरण से संबंधित जो भी जानकारी उपलब्ध है उन्हें प्रदाय कराई जाये।

7 अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी से चाही गई 3 बिन्दुओं की जानकारी में से बिन्दु क्र. 2 की जानकारी यथा जांच हेतु प्रारम्भ की गई नोटशीट, तथा पत्राचार से संबंधित दस्तावेज प्रमुख अभियंता कार्यालय में धारित है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने के फलस्वरूप निशुल्क रूप से अपीलार्थी को प्रदाय की गई है। **परन्तु अपीलार्थी के अनुसार उक्त दस्तावेज उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं।** अपीलार्थी द्वारा चाही गई एक अन्य बिन्दु क्र. 3 की जानकारी यथा जांच करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी, जनसूचना अधिकारी को आज दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त हो गई है। शेष बिन्दु क्र. 1 द्वारा चाही गई जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को अप्राप्त है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत यदि मांगी गई सूचना का कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य लोक प्राधिकरण के पास है। ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदन पत्र को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना आवेदक को दे देनी चाहिए। यहां पर प्रकरण अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को संबंधित लोक सूचना अधिकारी यथा कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को अंतरित नहीं किया गया। वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं इस कार्यवाही हेतु निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि वे पूर्व में प्रेषित बिन्दु क्र. 2 की जानकारी तथा उन्हें आज दिनांक 04.10.2021 को प्राप्त बिन्दु क्र. 3 की जानकारी निशुल्क रूप से अपीलार्थी को 3 दिवस के भीतर पुनः उपलब्ध करावें। चूंकि जांच कार्यवाही की अवधि निर्धारित नहीं होती अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन आवेदन पत्र के माध्यम से जांचकर्ता अधिकारी के कार्यालय यथा कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बलरामपुर में संबंधित जनसूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बिन्दु क्र. 1 की जानकारी प्राप्त करें। जनसूचना अधिकारी यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश से अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बलरामपुर को भी अवगत करावें, ताकि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हो सके।

Asadhiya 04/10/2021

(अरूण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
प्रमुख अभियंता कार्यालय
जल संसाधन विभाग, रायपुर

सत्यापित प्रति

(ओ०पी०पटेल)
Executive Engineer (D)
O/o E-in-C Water Resources Deptt.
Raipur (C.G.)